

1 प्र०क० 67/2017 अपील फौजदारी

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-वीरेन्द्र सिंह राजपूत)

प्र०क० 67/2017 अ०फौ०

संस्थिति दिनांक 20.07.2017

गिराज सिंह पुत्र सुल्तान सिंह, उम्र 41 वर्ष।

निवासी- ग्राम नागौर थाना एण्डोरी, जिला

भिण्ड म०प्र०

.....अपीलार्थी / फरियादी

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र एण्डोरी

तहसील गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०।

.....प्रतिअपीलार्थी / अभियोगी

अपीलार्थी द्वारा श्री पी०एन० भट्टेले अधिवक्ता

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर
लोक अभियोजक

न्यायालय सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, जे.एम.एफ.सी. गोहद
द्वारा दाण्डिक प्र०क० 111/2012 ई.फौ. में निर्णय
दिनांक 14-10-2015 से उत्पन्न दांडिक अपील क्रमांक
67/2017

// निर्णय //

(आज दिनांक 07-09-2017 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थी/फरियादी की ओर से यह दांडिक अपील न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी) द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 111/2012 ई.फौ. शा०पु० गोहद एण्डोरी वि० गब्वर आदि, में पारित निर्णय दिनांक 14.10.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने आरोपीगण से जप्तशुदा राशि प्रतिकर के रूप में उसे न दिलाई जाकर राजसात करने का आदेश दिया गया है, जिससे व्यथित होकर यह दांडिक अपील फरियादिया द्वारा प्रस्तुत की गई है।

02. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 26.11.11 की रात्रि फरियादी गिराज सिंह के घर के गौंडा जिसमें उसकी भैंस बंधी थी। रात्रि करीब ढाई बजे जब वह जागा तो उसकी भैंस गौंडा में नहीं थी उसे कोई चुराकर ले गया था। तत्पश्चात् वह गांव के कुंदनसिंह, नवलसिंह, रोशनसिंह व मोहरसिंह के साथ भैंस के पैरों के निशान के आधार पर रते के पुरा की तरफ गए थे वहाँ गब्बरसिंह गुर्जर के मकान तक भैंस के पैरों के निशान मिले थे। उसने गब्बरसिंह से भैंसे देने को कहा एवं घर की तलाशी लेने को कहा तो उसने घर की तलाशी नहीं लेने दी और झगड़े पर आमदा हो गया और कहा कि दिलीप, बंटी, भूरा बगैरा भैंस लेकर आए है और 20,000/- रूपए भैंस देने पर मांगे थे। उसके पश्चात् फरियादी ने कई बार पंचायत जोड़ी। दिनांक 02.12.2011 को फरियादी, इन्द्रजीतसिंह तोमर बगैराह गब्बरसिंह के यहाँ गए तो चारों आरोपीगण उसे अश्लील गालियाँ देने लगे दिलीपसिंह ने जान से मारने की धमकी दी और कहा कि बीस हजार रूपए दो तभी भैंस बापस करूंगा। उक्त रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध अप0क0 148/11 अंतर्गत धारा 379, 294, 506बी, 386, 34 भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना आगे की गई, दौराने विवेचना आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं जप्ती आदि की कार्यवाही की गई। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र अधीनस्थ न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध 457, 380, 215, 294, 386 भा.द.वि के आरोप पाये जाने से आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर आरोपी ने अस्वीकार किया।

03. अधीनस्थ न्यायालय में अभियोजन साक्षी गिराज सिंह अ0सा0 1, नवलसिंह अ0सा0 2, रोशन सिंह अ0सा0 3, रामसिंह अ0सा0 4, प्रीतमसिंह अ0सा0 5, सुभाष पाण्डेय अ0सा0 6 की साक्ष्य कराई गई। दंड प्रक्रिया संहिता 313 के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण भी कराया गया है। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में जप्तशुदा 27,000/- रूपए राजसात करने का आदेश दिया गया है जिससे व्यथित होकर फरियादी द्वारा यह दांडिक अपील प्रस्तुत की गई है।

04. अपीलार्थी/फरियादी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जप्तशुदा राशि के संध में पारित आलोच्य निर्णय को विधि एवं तथ्य के विपरीत होना व्यक्त करते हुए जप्तशुदा राशि उसे न दिलाए जाने में त्रुटि किये जाने एवं आलोच्य निर्णय विधि के मान्य सिद्धांत के विपरीत होने से अधीनस्थ

न्यायालय के आलोच्य निर्णय में जप्तशुदा राशि के संबंध में दिए गए आदेश को अपास्त कर राशि उसे दिलाए जाने की प्रार्थना की है।

05. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने आलोच्य निर्णय विधि एवं तथ्यों के अनुरूप होना दर्शाते हुये अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

06. अपीलार्थी/फरियादी के विद्वान अधिवक्ता श्री पी0एन0भट्टेले एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क0 111/2012 (शासन पुलिस एण्डोरी विरुद्ध गब्बर आदि) का अवलोकन किया गया।

07. इस अपील के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :-

1. क्या अधीनस्थ न्यायालय ने दांडिक प्र0 क0 111/2012 में जप्तशुदा राशि को राजसात करने का जो निष्कर्ष निकाला है वह त्रुटिपूर्ण है?
2. क्या अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण साक्ष्य विवेचन किया है?
3. क्या अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य?

::- निष्कर्ष के आधार-::

08. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि फरियादी की भैंस चोरी गई थी और प्रकरण में 27,000/- (सत्ताईस हजार रुपए) रुपए की राशि जप्त की गई है। प्रकरण में भैंस भी जप्त नहीं की गई है और न ही फरियादी को दिलाई गई है, आरोपीगण दोषमुक्त हुए हैं, किन्तु उसके उपरांत भी विचारण न्यायालय ने जप्तशुदा राशि फरियादी को न देने में त्रुटि की है। अपीलार्थी अधिवक्ता ने शेष तथ्यों को कोई चुनौती नहीं दी है।

09. यह सही है कि प्रकरण में अभियोजन कथानक अनुसार दिलीप से 12,500/-रुपए, गब्बरसिंह से 12,500/- रुपए एवं आरोपी राजकुमार से 2000/- रुपए जप्त किये जाने का आधार लिया गया है। हालांकि अभियोजन साक्षियों ने जप्ती का समर्थन नहीं किया है और केवल विवेचनाधिकारी ने ही आरोपीगण से जप्ती का समर्थन किया है, किन्तु विचारण न्यायालय ने अपने आलौच्य निर्णय में

आरोपीगण से पैसों की जप्ती प्रमाणित न होना माना है, किन्तु प्रकरण में यह यह स्वीकृत स्थिति है कि फरियादी गिराज की भैंस चोरी हुई थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 दर्ज कराई गई थी। प्रकरण में 27,000/- रूपए की राशि जप्त की गई है जिस पर किसी भी आरोपीगण ने दावा नहीं किया है कि यह राशि उनकी है अथवा उनसे जप्त की गई है। निश्चित रूप से वर्तमान समय में भैंस की कीमत 30,000/- रूपए से अधिक होती है। प्रकरण में जप्तशुदा राशि पर आरोपीगण ने कोई दावा नहीं किया है। प्रकरण में आरोपीगण के विरुद्ध आरोपीगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में जप्तशुदा राशि को राजसात किये जाने का कोई औचित्य दर्शित नहीं होता है, बल्कि दं.प्र.सं. की धारा 357(1)(ख) की मंशा को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के फरियादी/अपीलार्थी को प्रतिकर स्वरूप जप्तशुदा राशि दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और ऐसी स्थिति में स्पष्टतः यह निष्कर्ष निकलता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में जप्तशुदा राशि को राजसात किये जाने का जो आदेश दिया है वह त्रुटिपूर्ण है।

10. परिणामतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश को प्रकरण में जप्तशुदा राशि राजसात किये जाने के निष्कर्ष को अपास्त करते हुए शेष निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है। साथ ही आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जप्तशुदा 27,000/- (सत्ताईस हजार रूपए) रूपए की राशि अपीलार्थी/फरियादी गिराज को प्रतिकर स्वरूप दिलाई जावे।

11. निर्णय की प्रति सहित मूल अभिलेख अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म.प्र.)